भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

446

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

नि0 - 787 - II - 16

प्र0 क0 निगरानी —दो / 16

विशाल सिंह तनय भवूदर यादव
निवासी ग्राम मैंदवारा तहसील
जतारा हाल लिधोरा
जिला टीकमगढ म0प्र0 —— आवेदक

विरूद्ध

1—मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदक
2—कुन्दनलाल तनय हरप्रसाद
यादव निवासी ग्राम मैदवारा
तहसील जतारा हाल लिधोरा
जिला टीकमगढ म0प्र0

—— फॉरमलपक्षकार

1/3/16 01/3/16

यह निगरानी आवेदन म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 71 / अ—59 / 88—89 में पारित आदेश दिनांक 29.1.90 के विरूद्ध प्रस्तुत।

महोदय,

निगरानी आवेदन सादर निम्न प्रार्थना है:—

1— यह कि आवेदक ग्राम मैदवारा तहसील जतारा हाल लिधोरा जिला टीकमगढ की भूमि खसरा नम्बर 2186, 2187, 2188, 2189, ~~2189~~ 2190, एवं 2190 रकवा 0.397, 0.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक –निग.-787-दो/2016 जिला-टीकमगढ़

विशाल सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। 3. यह निगरानी कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 71/अ-59/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 29-01-1990 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-03-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका	

का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य